न्यायलय सहायक कलकटर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- जय कौशिक(आर.ए.एस.)

प्रकरण स. 307/2025

वाद पत्र अ.धा. 88 आर.टी.ए.

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद शेरगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब - वादी

बनाम्

1. कुशाल पुत्र श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद शेरगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
2. सावित्री देवी पत्नी श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद शेरगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
3. पारूल पुत्री श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद शेरगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
4. बबीता पुत्री श्री दलीप कुमार पत्नी अशोक चौधरी जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद ढाणी 15 एचएमएच हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमागढ
5. सविता पुत्री श्री दलीप कुमार पत्नी रविन्द्र सिंह बेनीवाल जाति जाट नि. हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद 437 डिफ्न्स कालोनी हिसार तह. व जिला हिसार हरि.
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया - प्रतिवादीगण

उपस्थितः-

1 श्री अनिल चोयल- वकील वादी

2 श्री शिवशंकर- वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनाकः- 5.5.2025

वादी दिनेश कुमार ने प्रतिवादी स. 1ता5 के विरूध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा हेतू दिंनाक 09.06.2025 को इस न्यायलय मे पेश किया की वादी एव प्रतिवादी स. 1ता5 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी एंव प्रतिवादी स. 1 भाई प्रतिवादी स. 2 माता प्रतिवादी स. 3ता5 बहिन है। जिनकी वशंवली आवश्यक होने कारण वाद मे वर्णित है। उक्त वंशावली के अनुसार वादी के पिता दलीप कुमार पुत्र अंतराम की प्रथम पत्नी सुमन देवी की मृत्यु उपरान्त उनके तीन वारिस वादी दिनेश एंव प्रतिवादी स. 4 व 5 पुत्रीया बबीता एंव सविता है। उक्त दलीप कुमार की प्रथम पत्नी की मृत्यु उपरान्त विवाह पश्चात उनकी पत्नी प्रतिवादी स. 2 सावित्री देवी तथा पुत्र प्रतिवादी स. 1 कुशाल एंव पुत्री प्रतिवादी स. 3 पारूल है इस प्रकार कुल छः वारिस है। वादी एंव प्रतिवादीगण स. 3ता5 के पिता तथा प्रतिवादी स. 2 के पति दलीप कुमार के नाम से चक 1 एचआरपी के खाता स. 54/37 मे 2.530है. इसी चक 1 एचआरपी के खाता स. 47/32 मे 0.759है. तथा चक 1 एसटीपी के खाता स. 45/18 मे 5.819है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि विरास्तन कृषि भूमि है एंव वादी का उक्त भूमि मे जन्म से प्राप्त हित व सवत्व निहित है। दलीप कुमार पुत्र अन्तराम का दिंनाक 25.10.2005 को स्वर्गवास हो चुका है जिनके वादी एंव प्रतिवादी ही विधिक वारिसान है। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा एंव उक्त खातो की प्रमाणित प्रतिया जमाबन्दीया सलग्न वाद पत्र है। उक्त कृषि भूमि के तीनो खातो चक 1 एचआरपी के खाता स. 54/37 व 47/32 तथा चक 1 एसटीपी के

लगातार-2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खाता स. 45/18 मे प्रतिवादी स. 4 व 5 द्वारा अपने विरास्तन हक हिस्सा का परित्याग अपने सगे भाई वादी को करने उपरान्त वादी का प्रत्येक खाता मे अब स्वर्गीय दलीप कुमार के नाम दर्ज कृषि भूमि मे हक हिस्सा अनुसार 1/2 हिस्सा कृषि भूमि बनती है तथा प्रतिवादीगण के साथ हुये बटवारा मे भी वादी को प्रत्येक खाता मे 1/2 हिस्सा दलीप कुमार पुत्र अन्तराम के नाम दर्ज कृषि भूमि मे प्राप्त है। वादी मौका पर उक्तानुसार ही इतनी ही भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी की मौका पर चक 1 एचआरपी खाता सं. 54/37 में दलीप कुमार के नाम 2.530है. मे से 1.265है. मय गै.मु. तथा इसी चक 1 एचआरपी खाता सं. 47/32 में दलीप कुमार के नाम 0.759है. मे से 0.379है. मय गै.मु. कृषि भुमि एंव चक 1 एसटीपी खाता सं. 45/18 में दलीप कुमार के नाम 5.819है. मे से 2.910है. मय गै.मु. कृषि भुमि पर कब्जाकाश्त है। इस प्रकार तीनो खातो मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 9.108है. मे से 4.554है. भूमि बटवारा अनुसार वादी की बनती है। वादी बटवारा के रोज से ही उक्त कृषि भूमि पर उक्तानुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त समस्त कृषि भूमि मौका पर स्वर्गीय दलीप कुमार के नाम दर्ज होने तथा प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि मे विरास्तन हक होने एव राजस्व रिकार्ड मे उक्त कृषि भूमि हक हिस्सानुसार दर्ज नही होने कारण आपस मे सीवबट को लेकर लडाई झगडे का अन्देशा रहता है तथा वाटरमेन्ट शुल्क आदि राजय सरकार को अदा करने मे अनेको कठिनाईयो का सामना करना पडता है। इसके अलावा अनुदान एंव अन्य सुविधा प्राप्त करने भी अनेको कठिनाईयो का सामना करना पडता है। उक्त परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए वादी ने प्रतिवादीगण से उसको उक्त विरासतन कृषि भूमि का बंटवारा व कब्जाकाश्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया तो वह पहले तो टाल मटोल करते रहे परन्तु गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण हैं।

उक्त तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिर्पोट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण स. 1ता5 जरिये अधिवक्ता हाजिर आये। प्रतिवादी स. 1 की और से जरिये अधिवक्ता दिंनाक 16.09.2025 को सहमति का जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत हुआ। इसी रोज जरिये अधिवक्ता प्रतिवादी स. 2 व 3 तथा 4 व 5 की और से वादी एंव प्रतिवादी के पक्ष मे सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। उक्त जवाब दावो को शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी स. 6 की और से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमे राज्यहित को मध्यनजर रखने की इस्तदुआ की गई। वाद पत्र के सम्र्थन मे वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 1 एचआरपी के खाता स. 54/37 व 47/32 तथा चक 1 एसटीपी के खाता स. 45/18 की जमाबन्दीया पेश की गई। इसके अलावा वादी के पिता दलीप कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र वारिसनामा भी प्रस्तुत किये गये। साक्ष्य वादी मे वादी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी स. 1ता5 की और से प्रस्तुत जवाब दावा मय प्रतिदावा एंव जवाब दावो मे वादी की और से कोई विरोध दर्ज नही किया गया एंव प्रतिदावा डिक्री करने पर सहमति जताई गई। साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने कथन किया की वादी एंव प्रतिवादी स. 1ता5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रसंगत आराजी मे उनका

लगातार-3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

विरास्तन हक हिस्सा बनता है उसी अनुसार घोष्णा जारी करवाना चाहते है। इसके अलावा प्रतिवादी स. 2ता5 का सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। वकील प्रतिवादीगण ने भी दौराने बहस कथन किया कि उनके प्रतिदावा का वादी द्वारा कोई विरोध नही किया गया है एंव प्रतिदावा पर सहमति जताई गई है तथा उक्त कृषि भूमि की प्रतिवादी जवाब दावा मय प्रतिदावा अनुसार घोषणा चाहते है एंव इसी अनुसार उनका हक बनता है। वाद पत्र मे घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस मे वकील प्रतिवादीगण ने वाद पत्र डिक्री किये जाने पर कोई आपति दर्ज नही करवाई है।

वाद पत्र मे वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी तहसील संगरिया के चक 1 एचआरपी के खाता स. 54/37 व 47/32 तथा चक 1 एसटीपी के खाता स. 45/18 मे वादी एंव प्रतिवादी स. 1ता5 के पिता/पति दलीप कुमार पुत्र अंतराम के नाम से दर्ज है। वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा को विरोध दर्ज नही करवाया गया है एंव प्रतिवादी स. 1 के जवाब दावा मय प्रतिदावा का भी वादी द्वारा कोई विरोध दर्ज नही किया गया है। इसके अलावा प्रतिवादी स. 2ता5 के सहमति के जवाब दावा पेश है जिनका भी कोई विरोध पेश नही हुआ है इसलिये तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही रही है। वाद मे वर्णित कृषि भूमि विरास्तन है। जिसमे वादी के विधिक एंव साम्पतिक अधिकार निहित है। वादी एंव प्रतिवादी स. 1ता5 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र एंव जवाब दावा मय प्रतिदावा का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र एंव जवाब दावा मय प्रतिदावा को सहमति के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-: कियात्मक आदेश::-

अतः वाद वादी एंव जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रतिवादी को सहमति के जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादी चक 1 एचआरपी के खाता स. 54/37 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 2.530है. मे से 1.265है. तथा इसी चक के खाता स. 47/32 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 0.759है. मे से 0.379है. तथा चक 1 एसटीपी के खाता स. 45/18 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 5.819है. मे से 2.910है. कृषि भूमि इस प्रकार उक्त तीनो खातो मे कुल 4.554है कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादी स. 1 को भी चक 1 एचआरपी के खाता स. 54/37 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 2.530है. मे से 1.265है. तथा इसी चक के खाता स. 47/32 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 0.759है. मे से 0.380है. तथा चक 1 एसटीपी के खाता स. 45/18 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 5.819है. मे से 2.909है. कृषि भूमि इस प्रकार उक्त तीनो खातो मे कुल 4.554है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार उक्त खातो मे दलीप कुमार पुत्र अंतराम का नाम कलमजन किया जाता है।

नोटः- यदि डिक्रित वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमलदरामद मुताबिक हक हिस्सा किया जावे।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया जाकर दाखिल-दफतर हो। निर्णय आज दिंनाक 5.5.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

अ. आ. 20 नि. 6-7 व्या. प्रकिया संहिता

न्यायलय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रकरण स. 307/2025

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद शेरगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब – वादी

बनाम्

1. कुशाल पुत्र श्री दलीप कुमार 2 सावित्री देवी पत्नी श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद शेरगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब 3 पारूल पुत्री श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद शेरगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब 4 बबीता पुत्री श्री दलीप कुमार पत्नी अशोक चौधरी जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद ढाणी 15 एचएमएच हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमागढ 5 सविता पुत्री श्री दलीप कुमार पत्नी रविन्द्र सिंह बेनीवाल जाति जाट नि. हरिपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद 437 डिफन्स कालोनी हिसार तह. व जिला हिसार हरि. 6 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल कुमार चोयल वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री शिवशंकर वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि चक 1 एचआरपी के खाता स. 54/37 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 2.530है. मे से 1.265है. तथा इसी चक के खाता स. 47/32 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 0.759है. मे से 0.379है. तथा चक 1 एसटीपी के खाता स. 45/18 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 5.819है. मे से 2.910है. इस प्रकार उक्त तीनो खातो मे कुल 4.554है कृषि भूमि का **वादी** को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार **प्रतिवादी स.** 1 को भी चक 1 एचआरपी के खाता स. 54/37 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 2.530है. मे से 1.265है. तथा इसी चक के खाता स. 47/32 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 0.759है. मे से 0.380है. तथा चक 1 एसटीपी के खाता स. 45/18 मे दलीप कुमार के नाम दर्ज 5.819है. मे से 2. 909है. कृषि भूमि इस प्रकार उक्त तीनो खातो मे कुल 4.554है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार उक्त खातो मे **दलीप कुमार पुत्र अंतराम** का नाम कलमजन किया जाता है।

नोटः– यदि डिक्रित <u>वादी/प्रतिवादीगण</u> हक आराजी बैक रहन नही है तो अमलदरामद मुताबिक हक हिस्सा किया जावे।

निज...X... निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसुलयाबी तक ...X... को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत एंव मुहर अदालत से आज दिंनाक 5.5.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी संगरिया